न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 191 / 2023 GCMS No.—2022/139

जगदीश प्रसाद बैरवा पुत्र श्री श्रवणलाल बैरवा निवासी प्रेमपुरा, पंचायत समिति तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत भटेरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भटेरी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. बाबूलाल महावर पुत्र भगवान सहाय महावर निवासी प्रेमपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

............विपक्षीगण

————————

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत पट्टा संख्या 32 दिनांक 20.11.2001

उपस्थितः—

1. श्री एन.के. सोनगरा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री जी.पी.शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निर्णय दिनांकः 08.07.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत भटेरी, पंचायत समिति तूंगा के आदेश दिनांक 20.11.2001 की पालना में से गैर निगरानीकार संख्या 2 बाबूलाल महावर पुत्र भगवान सहाय महावर निवासी ग्राम प्रेमपुरा, तहसील बस्सी के पक्ष में पट्टा संख्या 32 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.11.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 2 की ओर अधिवक्ता श्री जी.पी. शर्मा उपस्थित आये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषकउभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 से विपक्षी संख्या 2 ने साज करते हुए पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया। जिस पर विपक्षी संख्या 1 ने बिना मौका निरीक्षरण करवाये एवं आपत्ति नोटिस पेश करने का अवसर दिये निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टा नियम विरूद्ध जाकर निगरानीकार की कब्जेशुदा भूमि में विपक्षी संख्या 2 के हक में मनमर्जीपूर्वक लाभ पहुंचाने की गरज से विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत भटेरी ने जारी कर दिया।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर निगरानीकार का पुश्तैनी कब्जा रहा है एवं दिनांक 24.06.2022 को ग्राम पंचायत भटेरी द्वारा निगरानीकार को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने को कहा। जिस पर निगरानीकार ने जवाब पेश कर उक्त भूमि स्वयं की कब्जे की भूमि होना बताया जिस पर विपक्षीगण ने निगरानी के जवाब को रिकॉर्ड पर नहीं रखा एवं पुनः नोटिस जारी कर दिया तथा कहा कि आप या तो स्वयं कब्जा हटा लो अन्यथा हम प्रशासन की मदद से आपको बेदखल कर देगें। ग्राम पंचायत की उक्त अवैध कार्यवाही से व्यथित होकर निगरानीकार ने माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा पंचायत राज नियम 1996 के प्रावधानो के कतई विपरीत है। निगरानीकार वर्ष 1997 से उक्त पट्टाशुदा भूमि पर काबिज होकर कच्ची डोल लगाकर, पशुबाडा एवं स्वयं निवास हेतु मकान आदि बनाकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। निगरानीकार ने भी उक्त पट्टेशुदा भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु विपक्षी संख्या 1 के समक्ष आवेदन किया था। जिस पर विपक्षी संख्या 1 ने किसी प्रकार कोई गौर नहीं किया। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार को निगरानीकार की कब्जेशुदा भूमि का पट्टा 194 वर्गगज का जारी कर दिया जबकि कानूनन पंचायत राज नियम 1996 के प्रावधानो के अनुसार खाली भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का ही जारी किया जा सकता है। पंचायत राज नियमों के अनुसार स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदन के साथ नक्शा संलग्न होना चाहिए अथवा नक्शा संलग्न नहीं हो तो नक्शा शुल्क रसीद संलग्न होनी चाहिए और उसके उपरान्त पंचायत कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार के प्रार्थना पत्र ही 194 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 2 ना तो ग्राम पंचायत भटेरी का मूल निवासी है ना ही उसका उक्त पट्टेशुदा भूमि पर कोई कब्जा है, इसी आधार पर निगरानीधीन पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार को नोटिस दिनांक 24.06.2022 के पश्चात निगरानीधीन पट्टे के बारे में जानकारी हुयी जिसके पश्चात अविलम्ब माननीय न्यायालय में निगरानीकार द्वारा निगरानी पेश की गयी है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत भटेरी के आदेश दिनांक 20.11.2001 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी पट्टा संख्या 32 निरस्त किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट तीन वार्ड पंच महोदय से मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। तीन पंचों द्वारा मौके पर जाकर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

रिपोर्ट बनाई गई जिसे कोरम मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.11.2001 को सर्वसहमति से गैर निगरानकार के हक में पट्टा जारी किया है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व स्पष्ट होता हो। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भटेरी द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा अपने बाडे का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2001 पर आगे कार्यवाही करते हुए मुताबिक नक्शा तीन मौका रिपोर्ट हेतु वार्ड पंचगण की कमेटी गठित की गयी। वार्डपंचगण द्वारा दिनांक 20.10.2001 को मौका निरीक्षण किया गया एवं ग्राम पंचायत के समक्ष वार्ड पंचगण द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट पर तीन वार्ड पंचगण के हस्ताक्षर है। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 148 की पालना में दिनांक 20.10.2001 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया गया कि गैर निगरानीकार संख्या 2 अनुसूचित जाति का सदस्य है, भूमिहीन है इसलिए पंचायत राज नियम 158 के तहत 5 रूपये प्रति वर्गगज की दर से गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में दिनांक 20.11.2001 को 194 वर्गगज भूमि का पट्टा शुल्क 972 रू जमा कर जारी किया गया। निगरानीकार का मुख्य कथन है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर निगरानीकार का कब्जा रहा है किन्तु निगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे ये जाहिर हो कि निगरानीकार निगरानीधीन पट्टे की भूमि से किस प्रकार से संबंध/सरोकार रखते है एवं ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार को निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर अतिक्रमी माना है। निगरानीकार को ग्राम पंचायत भटेरी द्वारा जनसुनवाई प्रकरण संख्या 893 के संदर्भ में अतिक्रमण हटाने बाबत दिनांक 24.06.2022 एवं दिनांक 29.06.2022 को नोटिस दिया गया है। उक्त नोटिस दिनांक 29.06.2022 अनुसार रामजीलाल, मूलचन्द, बाबूलाल पुत्र भगवानसहाय महावर को जारी पट्टो पर निगरानीकार का अस्थायी अतिक्रमण माना गया है। आबादी भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार की भूमि है एवं ग्राम पंचायत अपने क्षेत्राधिकार की भूमि में अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर है जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

न्यायोचित नहीं समझते है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होते है। ग्राम पंचायत भटेरी, पंचायत समिति तूंगा द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व नियमानुसार पत्रावली बनाई जाकर पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की भूमि का बेचान गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में किया जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर